# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

**पीठासीन अधिकारी : श्री विवेक व्यास आर.ए.एस.**

राजस्व आवेदन संख्या 131 / 2023

| प्रार्थी | बनाम | विप्रार्थीगण |
| --- | --- | --- |
| कुम्भाराम पुत्र मालाराम<br>जाति माली<br>निवासी बालोतरा<br>तहसील पचपदरा व जिला<br>बाड़मेर | | राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार<br>पचपदरा |

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. श्री करणसिंह सोलंकी, अधिवक्ता,प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार नायब तहसीलदार उपस्थित।

## आदेश

दिनांक–24.5.2023

1.संक्षेप में आवेदन पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम तिरसिंगड़ी तहसील पचपदरा 642 / 194,645 / 197,647 / 197,677 / 648 व 716 / 678 भूमि आई हुई है। प्रार्थी का उक्त खसरान पर शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,कि प्रार्थी की ओर से उक्त विवादित भूमि में से रास्तें के लिए भूमि समर्पण किए जाने पर नये खसरा संख्या 676 / 648,677 / 648 व 716 / 678 कायम हुए। तत्कालीन हल्का पटवारी को समर्पण भूमि के अनुसार ही नक्शा लटठा ट्रेस में तरमीम की जानी चाहिए थी,लेकिन हल्का पटवारी द्वारा उससे भिन्न जाकर खसरा संख्या 716 / 678 व 677 / 648 के बीच बीच समर्पण भूमि की तरमीम कर दी गई,जबकि मौका स्थिति अनुसार उक्त खसरान के बदिश [illegible] में उक्त समर्पित भूमि अवस्थित है। लेकिन तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा [illegible] मौका स्थिति के विपरीत लटठा नक्शा में तरमीम कर दी गई। जिसके कारण प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। अतः विवादित भूमि की मौका कब्जा स्थिति के अनुसार तरमीम दुरूस्ती करवाने हेतु यह आवेदन पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.02 20:59:57 IST
Reason: SelfAttested

2 प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी संख्या 01 की ओर से राज.पैरोकार नायब तहसीलदार उपस्थित हुए। विवादित भूमि की मौका जांच रिर्पोट तहसीलदार पचपदरा से तलब की गई।

3 उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्य को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम चिरडाणी तहसील पचपदरा 642/194, 646/197, 647/197,677/648 व 716/678 भूमि आई हुई है। प्रार्थी का उक्त खसरान पर शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,कि प्रार्थी की ओर से उक्त विवादित भूमि में से रास्तें के लिए भूमि समर्पण किए जाने पर नये खसरा संख्या 676/648,677/648 व 716/678 कायम हुए। तत्कालीन हल्का पटवारी को समर्पण भूमि के अनुसार ही नक्शा लटढा ट्रेस में तरमीम की जानी चाहिए थी,लेकिन हल्का पटवारी द्वारा उससे भिन्न जाकर खसरा संख्या 716/678 व 677/648 के बीच बीच समर्पण भूमि की तरमीम कर दी गई,जबकि मौका स्थिति अनुसार उक्त खसरान के बदिशा उत्तर पूर्व में उक्त समर्पित भूमि अवस्थित है। लेकिन तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा समर्पण भूमि की मौका स्थिति के विपरीत लटढा नक्शा में तरमीम कर दी गई। जबकि मौके पर वास्तविक स्थिति के अनुसार समर्पण रास्ता चल रहा है,लेकिन रेकर्ड में अशुद्व तरमीम होने के कारण प्रार्थी को खातेदारी भूमि की पैमाईश करवानें व अन्य सरकारी योजनाओं का फायदरा मिलनें में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। अपनी बहस को आगे जारी रखतें हुए कथन किया कि तहसीलदार पचपदरा द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में तरमीम शुद्वि करने की अनुशंषा की गई है,जो तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार ही विवादित भूमि की तरमीम दुरूस्ती करवानें का आदेश फरमावें।

4 विप्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार नायब तहसीलदार ने अपनी बहस में जाहिर किया कि तहसीलदार पचपदरा की रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

5 हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात एवं मौका जांच रिर्पोट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम चिरडाणी पटवार मण्डल पचपदरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 677/648 व 716/678 भूमि प्रार्थी की खातेदारी में अवस्थित है और प्रार्थी द्वारा रास्तें हेतु भूमि समर्पण कि [illegible] 648 कायम हुए,लेकिन समर्पण मौका स्थिति के अनुसार तरमीम नहीं कर दोनों खसरान के बीचों बीच तरमीम कर दी गई,जो कि मौका स्थिति के विपरीत [illegible] पुष्टि हल्का पटवारी व भू.अभिलेख निरीक्षक पचपपदरा की संयुक्त मौका जांच रिपोर्ट से होती है,जिसमें स्पष्ट किया है कि समर्पण भूमि की तरमीम मौका स्थिति के विपरीत हो रखी है और प्रार्थना पत्र के संलग्न परिशिष्ट अनुसार तरमीम दुरूस्ती करनें की अनुशंषा की गई है। इस प्रकार तरमीम दुरूस्ती करने से विवादित भूमि की रेकर्ड एवं मौका स्थिति की एकरूपता बनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.02 20:59:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

रहे और पक्षकार भी जांच रिपोर्ट के अनुसार तरमीम दुरूस्ती करवानें पर सहमत है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है,कि विवादित भूमि की तरमीम मौका स्थिति के अनुसार नक्शा लटठा में नहीं हो रखी है,जो प्रार्थी मौका स्थिति अनुसार रिकॉर्ड में तरमीम दुरूस्त करवानें का हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

6. लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम चिरडाणी पटवार मण्डल पचपदरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 676/648 भूमि की विदयमान तरमीम निरस्त की जाकर हल्का पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक पचपदरा की जांच रिपोर्ट दिनांक 19.5.2023 व संलग्न नक्शा परिशिष्ट ब (B) अनुसार तरमीम दुरूस्त करने के आदेश पारित किये जातें हैं,उक्त नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार पचपदरा को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती सुनिश्चित करनें हेतु आदेशित किया जाता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा
(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

आदेश आज दिनांक 24.5.2023 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बालोतरा
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.02 20:59:57 IST
Reason: SelfAttested